



फार्म III { विनियम 7 (1) D (d) देखें }

Form III { see Regulation 7 (1) D (d) }

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन निकाय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित

(Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)

लाइसेंस सं. क्यूएससी/एल - 7001171.5

Licence No. QSC/L- 7001171.5

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो

By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby renews to:

मे. एवरेस्ट इंडस्ट्रिज लिमिटेड

गट नं 512, लख्मापुर,

तालुका दिंडोरी,

नासिक - 422 202

M/s Everest Industries

Gat No 152, Lakhmapur,

Taluka Dindori

Nasik 422 202

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रो) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस

नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा आई एस/ आई एस ओ 9001 : 2008 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रदत्त/प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licence) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with IS/ISO 9001:2008.

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत नवीकरण किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is renewed subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

3. यह लाइसेंस 30 January 2016 से 29 January 2019 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जासकेगा।

This licence shall be valid from 30 January 2016 to 29 January 2019 subject to change over of certification to IS/ISO 9001:2015 before 22.09.2018. and may be renewed as prescribed in the Regulations.

सन् दो हजार सोलह के अप्रैल माह के बीसवें दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।

Signed, Sealed and Dated this 20th day of April, Two Thousand Sixteen

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

